कैलेंडर वर्ष 2008 हेतु केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की

मुख्य गतिविधियों के संबंध में सक्षिप्त विवरण

1. केन्द्रीय निर्माण विभाग (केलोनिवि), रेलवे, रक्षा, संचार, परमाणु ऊर्जा, विमानपत्तन (राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय) तथा आकाशवाणी को छोड़कर केन्द्र सरकार की अन्य सभी परिसम्पतियों के निर्माण और अनुरक्षण करने के लिए भारत सरकार की मुख्य एजेंसी है ।
2. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग अनेक परियोजनाओं का संचालन करता है जैसे आवास और कार्यालय परिसर, अस्पताल, वर्कशॉप और कारखाने, होस्टल और होटल, खाद्यान्न भंडार संरचनाएं, सड़कें, राष्ट्रीय राजमार्ग, पुल और फ्लाई ओवर, विमानपत्तन, कम्प्यूटर केन्द्र तथा पर्यावरणीय और अन्य उपयोगी सेवाएं ।
3. यह विभाग नवीनतम तकनीकों का विकास करते हुए तथा स्टेट ऑफ आर्ट तकनीक अपनाते हुए निर्माण के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है । अनुसंधान संगठनों के निकट सहयोग और समन्वय से पर्यावरण के अनुकूल निर्माण सामग्री तथा प्रौद्योगिकी की पहचान करने तथा उसका चयन करने हेतु प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग और विकास सेल (टीएडीसेल) स्थापित किया गया है । यद्यपि आधारभूत कार्यपद्धति की रूपरेखा अभी तैयार की जानी है, तथापि, निर्बाध विकास कार्यपद्धति (सीडीएस) को भविष्य के लिए तात्कालिक जरूरत के रूप में स्वीकार कर लिया गया है ।
4. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग मानव बस्तियों के स्थायी विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसने जीर्ण भवनों के पुनरुद्धार तथा मरम्मत में भी विशेषज्ञता हासिल कर ली है तथा यह जीर्ण संरचनाओं को पुनः स्थापित करने में विशेषज्ञता तथा सहायता प्रदान कर रहा है । भवनों की मरम्मत और पुनरुद्धार के लिए विभाग द्वारा हाल ही में एक नियम पुस्तक भी प्रकाशित की गई है ।
5. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के पास विनिर्देशों और मानकों के पूरे दस्तावेज और दर अनुसूची हैं जिन्हें समय–समय पर अद्यतन किया जाता है ताकि आधुनिक प्रौद्योगिकियों और बाजार की प्रवृत्तियों के अनुरूप निश्चित गुणता गारंटी योजना के साथ कार्य किया जा सके ।
6. विभाग अचल सम्पत्तियों से जुड़े प्रत्यक्ष कर विधि के क्रियान्वयन में आयकर विभाग की सहायता भी करता है । पर्यावरण मंत्रालय की सिविल निर्माण इकाई के लो नि वि के अभियंताओं द्वारा संचालित की जाती है । इसी तरह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ने अपने लो नि वि के प्रबंधन में सहायता के लिए के लो नि वि के मुख्य अभियंता के पद को एनकाडर किया है ।
7. कार्यान्वित प्रमुख कार्यक्रम/योजनाऐं

   के लो नि वि द्वारा कार्यान्वित की गई कुछ प्रमुख योजनाएं निम्नानुसार है :–

- बिहार राज्य के लिए प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना तथा राष्ट्रीय सम विकास योजना के तहत प्रमुख सड़क मार्ग निर्माण की योजना ।
- गुवाहाटी तथा पटना में इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी के लिए जैटी की योजना तथा अभिकल्पन
- काबुल, अफगानिस्तान में विदेश मंत्रालय की ओर से हबीबिया स्कूल तथा इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर चाइल्ड हैल्थ की मरम्मत एवं पुनः बहाली का कार्य पूरा कर लिया गया हे । इंडियन चांसरी बिल्डिंग तथा न्यू अफगान पार्लियामेंट के लिए योजना का कार्य प्रगति पर है ।
- आधुनिक हॉकी मैदानों तथा सिंथेटिक एथलीट ट्रैंकों के लिए संविदा/विर्निदेशों का मानकीकृत विकास
- कई स्थानों पर एथलैटिक तथा हॉकी के लिए सिंथेटिक ट्रैक का निर्माण

8.0 कॉनवेल्थ गेम्स, 2010 में के लो नि वि की भागीदारी

8.1 के लो नि वि को 2010 में दिल्ली में आयोजित किए जा रहे कॉमनवेल्थ खेलों के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण के पांच प्रमुख स्टेडियमों की वर्तमान संरचना का उन्नयन कार्य सौंपा गया है ।

1. जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम
2. इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम
3. डा. करनी सिंह शूटिंग रेज
4. मेजर ध्यान चन्द नेशनल स्टेडियम
5. एस पी एम स्वीमिंग पूल कॉम्प्लेक्स अपार्ट

8.2 सभी संबंधित कार्यो को पूरा करने की योजना मार्च, 2010 तक बनाई गई, जिसमें खेल शुरू होने से पहले परीक्षण के लिए पर्याप्त समय मुहैया कराया गया है । इन सभी समयबद्ध कार्यो को पूरा करने के लिए एक समर्पित प्रोजेक्ट टीम तैयार की गई है ।

9.0 बिहार में सड़कों के विकास में के लो नि वि की भागीदारी

9.1 के लो नि वि बिहार राज्य में सड़कों और राजमार्गों के विकास में सक्रिय रूप से शामिल है । विभाग द्वारा राष्ट्रीय सम विकास योजना के अंतर्गत बिहार के 33 जिलों में लगभग 3000 करोड़ रूपए की लागत वाले 2000 कि.मी. लंबे राज्य राजमार्गों तथा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत बिहार के 4 जिलों में लगभग 600 करोड़ रू. की लागत 1222 कि.मी. लंबी सड़कों का निर्माण कार्य हाथ में लिया गया है ।

10.0 जी पी आर ए तथा जी पी ओ ए का निर्माण

- के लो नि वि द्वारा दिसम्बर, 2008 तक सामान्य पूल के 45 और आवासों का निर्माण किया गया है ।

11.0 के लो नि वि की सीमा सड़क, फेंसिंग तथा फ्लड लाइटिंग कार्यों में भागीदारी

11.1 के लो नि वि को सीमा पर सड़कों, पुलों और फ्लट लाइट आदि के कार्य रूप में निर्मित आधारित संरचना के अनुरक्षण का कार्य भी सौंपा गया है । उत्तर–पूर्व के कार्यों की देखरेख के लिए विशेष यूनिटें खोली गई है । के लो नि वि द्वारा भारत बंगला देश सीमा का लगभग 2558 कि मी लंबी सड़क का अनुरक्षण किया जा रहा है ।

12.0 इनलैड वाटर ऑथरिटी ऑफ इंडिया के लिए निर्माण कार्य :

के.लो.नि.वि. भारत में इनलैंड वाटरवेज के विकास के विभिन्न कार्य निष्पादित कर रहा है ताकि और अधिक किफायती दरों पर सामान तथा लोगों के परिवहन के लिए एक नेटवर्क को राष्ट्रीय राजमार्गों की तरह ही विकसित किया जा सके।

13.0 अंडमान निकोबार द्वीपसमूह के सुनामी पीड़ित लोगों के लिए स्थायी आवासों का निर्माण

13.1 द्वीप पर सुनामी पीड़ित लोगों के लिए बनाए जा रहे 9797 आवासों में से 7966 आवास केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाए जा रहे हैं । दिसम्बर, 2008 तक 2704 आवासों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है।

14.0 निष्पादित की जा रही कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं निम्नानुसार हैः—

14.1 काबुल अफगानिस्तान में निर्माण कार्य

14.2 केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की उत्तर—पूर्व में गतिविधियां

14.3 जवाहर लाल नेहरू भवन का निर्माण कार्य — विदेश मंत्रालय का कार्यालय

14.4 अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सुनामी पीड़ित लोगों के लिए स्थायी आवासों का निर्माण

14.5 दिल्ली, हैदराबाद तथा पोर्ट ब्लयेर में सामान्य पूल के कार्यालयी आवास का निर्माण

14.6 सामान्य पूल के रिहायशी आवासों का निर्माण

14.7 विभिन्न स्थानों पर केन्द्रीय विद्यालयों का निर्माण कार्य

15. सुधारात्मक उपाय तथा नीतिगत निर्णय

15.1 कंप्यूटरीकरण के माध्यम से पारदर्शिता लाने के विशेष प्रयास

वास्तुकीय अभिकल्पन, संरचनात्मक अभिकल्पन एवं रूपरेखा, प्रोजेक्ट प्लानिंग तथा अनुसूचीकरण, मॉनीटरिंग, दर सूची तैयार करने, निविदा को तर्कसंगत बनाने, वेतन रोल, कार्मिक प्रबंधन, इनवेंटरी कंट्रोल, लेखा और बजट, अनुरक्षण प्रबंधन आदि क्षेत्रों में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कंप्यूटरीकरण की शुरूआत कर दी गई है। तथापि, ज्ञान प्रबंधन प्रणाली तथा ई—गवर्नेस लागू करने के लिए सरकार के दिशा निर्देशों की आवश्यकता को ध्यान में रखकर के. लो.नि.वि. में एकीकृत कंप्यूटरीकरण हेतु कार्य प्रारंभ कर दिया गया है जो निर्बाधता पूर्वक पूरी सूचना ठीक समय पर उपलब्ध कराकर के.लो.नि.वि. के सभी कार्यों को एकीकृत करेगा और पूर्ण पारदर्शिता तक पहुॅचेगा और अधिकारी की सभी पहलुओं पर प्रभावी नियंत्रण रख सकेंगे ।

कामर्शिलय एवं इंडस्ट्री स्टैण्डर्ड सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हुए कस्टमाइज सौलुशन शुरू करने का प्रस्ताव है।

के.लो.नि.वि. की वेबसाइट को भी अधिक इंटरेक्टिव बनाया गया है तथा सभी परिपत्रों आदि को उस पर अपलोड किया जा रहा है। आगंतुकों से फीडबैक लेने की सुविधा भी शुरू की गई है। प्रोजेक्ट मॉनीटरिंग तथा ई—प्रोक्यूरमेंट की ऑन लाइन योजना भी तैयार की जा रही है।

दिल्ली में के.लो.नि.वि. द्वारा पूर्णरूपेण कंप्यूटरीकृत शिकायत प्राप्ति एवं मॉनीटरिंग प्रणाली का उपयोग पहले ही किया जा रहा है। सेवा के लिए http//cpwdsewa.nic. in का उपयोग किया जा सकता है।

15.2 अनुरक्षण में सुधार हेतु नीतिगत निर्णय

के.लो.नि.वि. ने वित्त वर्ष 2008–09 के दौरान अपने अनुरक्षण प्रचालनों में सुधार के लिए विशेष प्रयास किए हैं । सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को और अधिक उत्तरदायी बनाने और उनकी जानकारी में लाई गई शिकायतों पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देने के निदेश जारी किए गए हैं । प्रयोग के तौर पर के.लो.नि.वि. ने कुछेक चुनिन्दा कॉलोनियों के अनुरक्षण की आउटसोर्सिंग की है तथा सभी कार्यों के निष्पादन के लिए एक सिंगल एजेंसी को कार्य पर लगाया गया है। यह प्रयोग अभी हाल ही में शुरू किया गया है तथा इसकी प्रारंभिक रिपोर्ट से यह संकेत मिलता है कि यह एक सफल प्रयोग होगा तथा इससे के.लो.नि.वि. के नियमित कामगारों को बेहतर प्रदर्शन करने का भी प्रोत्साहन मिलेगा । इसके अलावा, चालू वित्तीय वर्ष में सौंदर्यपरक सुधार कार्यों तथा पुरोन क्वार्टरों रिट्रोफिटिंग करने हेतु विशेष निधियां प्राप्त हुई है। इससे पुराने क्वार्टरों की साज–सज्जा को धीरे–धीरे बदला जा रहा है और इससे इन क्वार्टरों में रहने वाले लोगों में अत्यंत संतोष की भावना पैदा हो रही है।

15.3 के.लो.नि.वि. के प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से क्षमता निर्माण हेतु नीतिगत पहलु

के.लो.नि.वि. का मुख्य प्रशिक्षण संस्थान, गाजियाबाद में स्थित है तथा दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता, चेन्नै एवं गुवाहाटी में वर्कमैन प्रशिक्षण केन्द्र हैं। यह संस्थान सभी क्षेत्रों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए अनेक प्रकार के पाठ्यक्रम संचालित करता है । गृह मंत्रालय द्वारा इस संस्थान को राष्ट्रीय संसाधन संस्थान के रूप में सूचीबद्ध किया गया है । इस संस्थान के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सीधे भर्ती सहायक कार्यपालक अभियंताओं / उपवास्तुकों/ कनिष्ठ अभियंताओं, नए पदोन्नत अधीक्षण अभियंताओं व कार्यपालक अभियंताओं तथा अन्य स्टाफ के लिए प्रारंभिक कार्यक्रम आदि शामिल हैं । सेवारत अधिकारियों के लिए विभिन्न चरणों में सेवाकालीन प्रशिक्षण स्टाफ के विभिन्न स्तरों के लिए कंप्यूटर अनुप्रयोग में विशेषीकृत प्रशिक्षण आधुनिक प्रबंधन तकनीकों यथा परियोजना प्रबंधन, संविदा तथा पंचाट, पर्यावरण प्रबंधन, स्ट्रेस मैनेजमेंट आदि भी इसके द्वारा संचालित किए जाते हैं । चक्रवात और बाढ़ के संबंध में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार क्षमता निर्माण हेतु प्रशिक्षण अनुसूची में आपदा प्रबंधन प्रारंभ करने के प्रयास किए जा रहे हैं ।

15.4 के.लो.नि.वि. द्वारा निष्पादित किए जा रहे सरकारी सिविल कार्यों में पी.पी.पी. प्रारंभ करने के लिए नीतिगत पहल

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग एक मॉडल कंसेसन एग्रीमेंट भी तैयार कर रहा है, जिसका पी.पी.पी.मोड के माध्यम से जी.पी.आर.ए. के कार्य निष्पादन हेतु उपयोग किया जा सकता है ।